

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(01)शिक्षा-2/2018 पार्ट दिनांक: 20.09.2018 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 02.01.2019 द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि बायतू, बाडमेर व श्री बनवारी लाल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि बडी, बडगांव, उदयपुर की प्रतिनियुक्ति विशेष योग्यजन द्वारा संचालित मानसिक विमंदित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, जामडोली, जयपुर में विशेष शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(01)शिक्षा-2/2018 दिनांक: 20.09.2021 की पालना में विशेष योग्यजन द्वारा संचालित मानसिक विमंदित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, जामडोली, जयपुर में "राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त उपरोक्त कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि में तृतीय वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 के अनुसार अभिवृद्धि किये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है-


क्र.सं.	कार्मिक का नाम मय पद	प्रतिनियुक्ति पद पदनाम	प्रतिनियुक्ति पर अभिवृद्धि की तिथि	प्रतिनियुक्ति अभिवृद्धि
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेश कुमार शर्मा	विशेष शिक्षक	20.09.2021 से 19.09.2022	तृतीय वर्ष के लिए
2	श्री बनवारी लाल शर्मा	विशेष शिक्षक	20.09.2021 से 19.09.2022	

सत्यमेव जयते


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/प्रतिनियुक्ति/2017/155 दिनांक: 12-10-2021
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जी 3/1-ए, राजमहल होटल के पीछे, राजस्थान, जयपुर।
3. राजकीय बौद्धिक दिव्यांग शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सिद्धा परिसर, जामडोली, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 2020 मुख्य भवन, सचिवालय।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/उदयपुर संभाग संभाग।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड बाबत।
7. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)